

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक— शिविरा-मा/संस्था/गोप्र/मॉड्यूल/2022-23/20

दिनांक-09/09/2022

कार्यालय आदेश

कार्मिक विभाग कें पत्रांक प.13(51)का/क-1/गो.प्र./2022 जयपुर दिनांक: 31.08.2022 के अनुसरण में ऑनलाईन एपीएआर भरने एवं ऑटो फॉरवर्ड/अप्रूवल किये जाने हेतु समय सीमा दिनांक 31.08.2022 से बढ़ाकर 30.09.2022 की गई है। इस हेतु शिक्षा विभाग के समस्त लोकसेवकों (कनिष्ठ सहायक से प्रधानाचार्य पद तक के लोकसेवक) को निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2021-22 एपीएआर की प्रविष्टी शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन एपीएआर की प्रविष्टि कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा के परिपत्र दिनांक 23.11.2020, 20.07.2021, 16.06.2022 एवं कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेश/परिपत्र में प्रदत्त निर्देशों की पालना के साथ दिनांक 30.09.2022 तक एपीएआर ऑनलाईन इन्द्राज करना सुनिश्चित करें।



(गौरव अग्रवाल)

I.A.S.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक-09/09/2022

क्रमांक— शिविरा-मा/संस्था/गोप्र/मॉड्यूल/2022-23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., जयपुर।
2. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्राधिकार में समस्त अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा उक्त आदेश की पालना की सुनिश्चितता करें।
3. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक/माध्यमिक।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
6. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने बाबत।
7. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
8. समस्त प्रतिवेदित/प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारकर्ता अधिकारी एवं लोकसेवक शिक्षा विभाग, राजस्थान को पालनार्थ।
9. रक्षित पत्रावली।



जि.शि.अ. (डी.पी.सी.)